ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 4093 / 12-1(2) दिनांक 22/04 /2022::

सेवा में

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटैक्निक, चोपता,
रुद्रप्रयाग।

विषयः– **जनपद रुद्रप्रयाग में राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, (कुण्डा दानकोट) रुद्रप्रयाग के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।**

सन्दर्भ :– **आपकी पत्र संख्या–21 / भूमि ह0 / 2022–23 दिनांक 11.04.2022।**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–08बी. / यू0सी0पी0 / 09 / 140 / 2021 / एफ0सी0 / 1373 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा 19 बिन्दुओं पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर आप द्वारा उक्त पत्र के साथ प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके अवलोकन पर निम्न कमियां पाई गई–

1. उक्त आपत्तियों का निराकरणोंपरान्त सन्दर्भित पत्र पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड नहीं किया गया है तथा संशोधित संलग्नको पर प्रपत्र संख्या एवं संलग्नक संख्या भी नहीं किया गया है।
2. संशोधित प्रतिवेदन / Justification की हस्ताक्षरित हार्ड प्रति संलग्नकों के साथ चस्पा नहीं है, जबकि पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड की गई है।
3. संशोधित प्रतिवेदन / Justification को उक्त आपत्ति पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या–2, 5, 9 के अनुसार नहीं बनाया गया है।
4. ले आऊट प्लान की मूल प्रति चस्पा नहीं की गई है यदि मूल प्रति पूर्व में प्रेषित की गई है तो उसका उल्लेख भी नहीं किया गया है।
5. बिन्दु संख्या–5 पूर्व में किये गये निर्माण कार्य के संबंध में विस्तृत आख्या नहीं दी गई है।
6. वृक्षों के पातन संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति चस्पा नहीं की गई है यदि मूल प्रति पूर्व में प्रेषित की गई है तो उसका उल्लेख भी नहीं किया गया है।
7. बिन्दु संख्या–8 कम्पोनेन्टस विवरण को ऑनलाईन भरा जाना है तथा कम्पोनेन्टस विवरण प्रमाण पत्र चस्पा किया जाना है, जबकि कुल 06 पृष्ठ चस्पा कर प्रेषित किये गये है, जिनका कोई औचित्य नहीं।
8. बिन्दु संख्या–12 एफ0आर0ए0 से संबंधित प्रमाण पत्रों को ऑनलाईन अपलोड किये गये पैरा का विवरण नहीं दिया गया है।
9. बिन्दु संख्या–14 क्षतिपूरक वृक्षारोपण से संबंधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र, योजना संलग्नकों में चस्पा नहीं किये गये हैं, जबकि इस कार्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर आपको मूल प्रति उपलब्ध करा दी गई थी, न ही मूल प्रति ऑनलाईन अपलोड की गई है।

क्रमशः 2 पर

O/C

10. पोर्टल के पैरा–L में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का (गोरणा सिविल या वन पंचायत) पूर्ण विवरण नहीं भरा गया है, जबकि अपलोड एम0ओ0यू0 प्रमाण पत्र में वन पंचायत भूमि का उल्लेख किया गया है।

11. मक डिस्पोजल प्लान में उल्लेख किया गया है कि परियोजना से उत्सर्जित मलवे का इस्तेमाल दीवारों के निर्माण कार्य में किया जायेगा, जबकि प्लान के साथ योजना भी अपलोड की गई है, जिसे पोर्टल से डिलीट एवं प्रस्ताव से हटा दिया जाय।

12. उक्त के अतिरिक्त आप द्वारा संशोधित प्रमाण पत्रों के साथ अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रति दो–तीन प्रतियों में चस्पा की गयी हैं, जिनकी आवश्यकता ही नहीं है।

अतः उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव की 05 प्रतियों को इस कार्यालय से प्राप्त कर पुनः उपरोक्त बिन्दुओं का शीघ्र निराकरण कर बिन्दुवार आख्या भारत सरकार के उक्त आपत्ति पत्र में उल्लिखित 19 बिन्दुओं के अनुसार ऑनलाईन एवं संशोधित प्रपत्रों की हार्ड प्रति में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या– 4093 **/दिनांकित।**
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।